उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, महोबा(उ0प्र0)–210427

पत्रांक –518/सामा0प्रशा0/गति निबन्धित/ 2020 दिनांक – 08 जुलाई, 2020

सेवा में,

अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0),
उ0प्र0 लखनऊ।

महोदय,

कृपया कार्यालय परिवहन आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0: 756स0सु0/2020–44 स0सु0/2014–20 लखनऊ दिनांक 08 जून 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में चाही गयी सूचना इस कार्यालय के पत्र सं0: 441/अधि0/स0सु0/2020 दिनांक 19 जून 2020 को प्रेषित की जा चुकी है।

पुनः सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त।

8/07/2020

(सुरेश कुमार वर्मा)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), महोबा।

प्रतिलिपि : सम्भागीय परिवहन अधिकारी, चित्रकूटधाम सम्भाग बाँदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8/07/2020

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), महोबा।

Scanned with CamScanner

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, महोबा(उ0प्र0)–210427

पत्रांक – 441/अधि0/स0सु0/2020 दिनांक – 19 जून ,2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जंहा उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06–04–2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या– 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महोबा जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1.	एन0एच0–86 (कानपुर सागर मार्ग)	खन्ना–कबरई–महोबा–श्रीनगर,	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2.	एन0एच0–76 (झाँसी मिर्जापुर मार्ग)	चौका–सौरा–महोबकंठ–पनवाड़ी–सुगिरा–महोबा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3.	कुलपहाड़ नौगाँव मार्ग 17 बी	कुलपहाड़–अजनर–जैतपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
5.	चरखारी मुस्करा मार्ग 15	चरखारी–,खरेला,–मुस्करा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6.	मटौध कपसा मार्ग 10	मटौध से कपसा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7.	महोबा लवकुशनगर मार्ग	शाहपहाड़ी,–कुम्हड़ौरा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 116 में विनिर्दिश्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एंव अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिश्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन

ब) एम्बुलेंस ।

स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

उपरोक्त तालिका के कॉलम– 3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा– 112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक– 06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

9/6/2020

सुरेश कुमार वर्मा,
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद महोबा।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

पृ०सं०— /अधि०/स०सु०/2020 समदिनांकित—

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1— परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।

2— अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ०प्र०।

3— जिलाधिकारी, महोबा।

4— पुलिस अधीक्षक, महोबा।

5— निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

6— अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, महोबा।

7— राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ, उ०प्र०।

8— जिला सूचना अधिकारी, महोबा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद में प्रकाशित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

18/06/2020

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद महोबा।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Sign in to edit and save changes to this file.

ाओं में हड़कम
ावपूजन के घर
ा टीम को कुछ
ालूम हो कि
को थाने लाकर
ारोप है कि
माफियाओं को

ड़क निर्माण
ायत

के दुलारा से
मी. सड़क का
कराया तो जा
ा में मानकों की
दुलारा ग्राम
ने उच्चाधिकारियों
निर्माण को
ी मांग कर
नक के तहत
गयी। सीमेंट की
ाई जा रही है।
मी मानकों की
इससे सड़क
शंका है।

होगा।

परिवहन विभाग ने निर्धारित की गति सीमा

महोबा (एसएनबी)। परिवहन विभाग ने विभिन्न वाहनों की अधिकतम गति सीमा तय कर निर्धारित से अधिक रफ्तार में वाहन दौड़ाने वालों के खिलाफ कार्यवाही का ऐलान किया है। एआरटीओ प्रशासन सुरेश कुमार वर्मा ने बताया है कि 2, 3 पहिया वाहनों के लिए गति सीमा 40, 7 से 12 सीट वाले यात्री वाहनों हेतु 60 किमी. प्रतिघंटा अधिकतम निर्धारित की गयी है। माल वाहन की गति 60 किमी प्रतिघंटा निर्धारित है। बताया कि यह गतिसीमा की अधिसूचना कानपुर सागर मार्ग के खन्ना से कबरई, महोबा-श्रीनगर, झांसी मिर्जापुर मार्ग पर महोबकंठ से पनवाड़ी, कुलपहाड़, महोबा, महोबा चरखारी मार्ग व मुस्करा मार्ग, मटौंध से कपसा मार्ग एवं महोबा से लवकुशनगर मार्ग पर लागू होगी। उन्होंने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा में वाहन संचालन करने के साथ नो एंट्री का पालन करने की अपील करते कहा है कि अन्यथा की स्थिति में वाहन चालकों पर कार्यवाही होगी। गति सीमा की पाबंदी अग्निशमन, एम्बुलेंस, पुलिस, सैन्य

कराए।

धारा 3
मोद

महोबा (एस
नेत्री अमेठी
इरानी ने शनिव
की जनता को
संबोधित कर
जनता के बीच
जैसी महामारी
जनता की से
कर्मियों को व
बताया कि केंद्र
के लिए हमेशा
श्रीमती ई
संविधान को ही
के लिए जनध
उनका हक दि
पैसे दलाल खा
गरीब को मिल

दैनिक राष्ट्रीय सहारा - महोबा
दिनांक - 28-06-20

Scanned with CamScanner

चालकों को पढ़ाया सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा का पाठ

महोबा: सड़क सुरक्षा,जीवन रक्षा के पत्रक दिखाते एआरटीओ प्रशासन,प्रवर्तन, एआरएम व एआरटीओ, मौजूद चालक परिचालक।

- महोबा डिपो परिसर पर सहायक सम्भागीय परिवहन द्वारा आयोजित की गयी कार्यशाला
- रोडवेज चालकों एवं परिचालकों को यातायात नियमों से सम्बन्धित पत्रक सौंपे

महोबा (ब्यूरो) : विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सहायक सम्भागीय परिवहन विभाग के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम महोबा डिपो बस अड्डा परिसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें एआरटीओ प्रशासन सुरेश कुमार वर्मा व एआरटीओ प्रवर्तन अजय कुमार, पीटीओ आरके सिंह, डिपो के एआरएम एके जैन आदि मौजूद रहे और सभी ने बारी-बारी से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का रोडवेज चालकों को पाठ पढ़ाते हुये वाहन चलाते समय महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया है। एआरटीओ प्रशासन ने कहा कि दोपहिया वाहन चालक व पीछे बैठने वाला भी हेल्मिट अवश्य पहने, आइएसआइ मानक हेल्मिट ही पहने, क्योंकि यह सिर पर भारी चोटों की संभावनाओं को 70 फीसद तक कम करता है। बाइक चलाते समय स्टंट न करें, जिम्मेदार बनें। बाये से ओवरटेक न करें, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। एआरटीओ प्रवर्तन ने कहा कि शराब और वाहन का मेल सही नहीं है। इसलिये शराब पीकर वाहन कतई न चलाये। नियन्त्रण गति सीमा में वाहन चलाये, ओवर स्पीडिंग न करें। पीटीओ सिंह ने कहा कि सीटबेल्ट बाँधे, ताकि आप और आपका परिवार वाहन में सुरक्षित रहे। सीटबेल्ट का प्रयोग टक्कर के प्रभाव को 80 फीसद तक घटाता है। यातायात नियमों और चिह्नों का पालन करें, दुर्घटनाओं से बचें। महोबा डिपो के क्षेत्रीय प्रबन्धक जैन ने कहा कि सड़क पर पैदल चलते समय सावधानियां बरते। स्कूल बस से या सडक पर बस से उतरते समय पूरी तरह से रूकने पर ही बस से उतरे। सड़क पर पैदल चलते समय साइड वाक फुटपाथ का प्रयोग करें। सडक क्रास करते समय जेब्रा लाइन टेबल टाप का प्रयोग करें। पैदल सडक पार करते समय कानों में ईयर फोन का प्रयोग बिल्कुल न करें। रेलवे लाइन पार करते समय फाटक बैरियर बंद होने की दशा में रेलवे लाइन कदापि पार न करें। इस मौके पर रोडवेज के चालकों एव परिचालकों को एआरटीओ व एआरएम द्वारा संयुक्त रूप से परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी वाहन संचालन नियमों से सम्बन्धित पत्रक को सौंपे गये हैं। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय महोबा के कर्मचारी व डिपो के रिजवान अहमद आदि मौजूद रहे।

गति सीमा उल्लंघन पर होगी कार्यवाही : एआरटीओ

महोबा : एआरटीओ प्रशासन सुरेश कुमार वर्मा ने जागरण से बातचीत करते हुये कहा कि मुख्य मार्गों पर लगातार हो रहे हादसों को नियंत्रण करने के लिये परिवहन विभाग ने गति सीमा निर्धारित की है। दोपहिया, तिपहिया वाहनों के लिये अधिकतम गति सीमा 40 किमी प्रति घण्टा तय की गयी है और चालक सहित 7 और 8 से 12 सीटों वाले यात्री वाहनों के लिये 60 किमी अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गयी है। सभी तरह के माल वाहन 50 किमी प्रति घण्टा अधिकतम रफ्तार तय की गयी है। अधिकतम गति सीमा की यह अधिसूचना कानपुर-सागर मार्ग पर खन्ना से कबरई, महोबा से श्रीनगर व झांसी-मिर्जापुर मार्ग पर महोबकंठ से पनवाड़ी, कुलपहाड़ से महोबा व महोबा से चरखारी मार्ग से मुस्करा मार्ग, मटौंध से कपसा मार्ग, महोबा से लवकुश नगर मार्ग पर लागू होगी। वाहन चालकों से स्पीड सीमा में गाडी चलाने,प्रेशर हार्न का इस्तेमाल न करने, नो एण्ट्री का पालन करना होगा। यदि निर्धारित गति सीमा का चालकों द्वारा उल्लंघन किया गया तो सीधी कार्यवाही की जायेगी। गति सीमा का पाबंदी अग्निशमन, ऐम्बुलेंस,पुलिस वाहन व सैन्यबल वाहनों पर लागू नहीं होगी।

दैनिक जागरण, झाँसी
दि० - 26-06-2020

Scanned with CamScanner